बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

II संकल्प II

विषयः– **केन्द्र प्रायोजित "स्वच्छ भारत मिशन "(नगरीय)" योजना में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए राज्यांश की अनुदान राशि 1333 रू0 से बढ़ाकर 8000 रू0 करने पर कुल–602.29 करोड़ रू0 (छह सौ दो करोड़ उनतीस लाख रू0) प्रस्तावित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।**

केन्द्र प्रायोजित "स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)" योजना राज्य के सभी निकायों में लागू करने एवं उस पर संभावित व्यय की स्वीकृति, राज्य के मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प सं0–2614 दिनांक–29.05.15 द्वारा निर्गत किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) योजना की मार्गदर्शिका में यह प्रावधान है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले शौचालय विहीन परिवारों को इस योजना के अंतर्गत 4000/– (चार हजार रू0) प्रति शौचालय की दर से केन्द्रीय अनुदान एवं राज्यांश की अनुदान राशि 1333/– रू0 (एक हजार तीन सौ तैंतीस रू0) स्वीकृत है।

2. **योजना का उद्देश्य** :– स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) योजना में चार अवयवों को शामिल किया गया है जिसमें एक महत्वपूर्ण अवयव व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण एवं शुष्क शौचालय को फलश लैट्रीन में परिवर्तन करना है। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) योजना राज्य के सभी नगर निकायों में सम्पूर्ण स्वच्छता के संकल्प के साथ प्रारंभ किया जाना है। योजना की स्वीकृति के उपरांत सरजमींन पर इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए व्यापक प्रयास किया जा रहा है। परंतु सभी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा यह सूचना दी जा रही है कि अनुदान की राशि कम होने के कारण लाभार्थियों में प्रोत्साहन नहीं है। नगर निकायों द्वारा विभिन्न समीक्षा बैठकों में अनुदान की राशि 12,000/– (बाहर हजार रूपये) रूपये करने की माँग की जा रही है। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में 12,000/– (बाहर हजार रूपये) रूपये प्रति शौचालय की दर से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इस परिस्थिति में राज्य के शहरी निकायों में स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयोजन से प्रोत्साहन राशि में बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव है। राज्य में शहरी क्षेत्रों के शौचालय विहीन परिवारों के घरों में सुनिश्चित तौर पर शौचालय निर्माण के प्रयोजन से यह प्रस्ताव है कि राज्यांश की राशि 1333/– रू0 (एक हजार तीन सौ तैंतीस रू0) प्रति शौचालय से बढ़ाकर 8000/– (आठ हजार प्रति शौचालय) की जाय। इसके फलस्वरूप प्रत्येक लाभान्वित को 12000/– (बारह हजार रू0) का कुल अनुदान मिल सकेगा, जिससे शौचालय का निर्माण कर पाना संभव हो सकेगा।

3. **योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन की समय सीमा :-**

यह योजना राज्य के सभी नगर निकायों में वर्ष 2019 तक लागू किया जाना है। योजना की मार्गदर्शिका में यह प्रावधान था कि प्रति शौचालय 1333/- रू0 (एक हजार तीन सौ तैतीस रू0) राज्यांश के रूप में उपलब्ध कराया जाय। तदनुसार योजना की स्वीकृति जारी की गई है। 1333/- रू0 (एक हजार तीन सौ तेंतीस रू0) की अनुदान पर शौचालय का निर्माण का कार्य कराया जाना अत्यंत कठिन है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के 139 शहरों में कुल 9,41,072 ऐसे परिवार हैं कि जिनके घरों में शौचालय नही है। इनमें से अनुमान्यतः 752863 ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में शौचालय बनाने हेतु स्थान उपलब्ध है। अतः इन परिवारों को केन्द्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन योजना की स्वीकृत अनुदान के साथ शौचालय बनाने हेतु राज्य सरकार की ओर से अनुदान राशि 8000/-(आठ हजार रू0) प्रति परिवार की दर से अनुदान दिये जाने पर कुल-602.29 करोड़ रू0 (छः सौ दो करोड़ उनतीस लाख रू0) की लागत आएगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में मंत्रिपरिषद द्वारा 100.35 करोड़ रूपये के राज्यांश की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस दर वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त 501.94 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी।

4. शौचालय विहीन सभी परिवारों को चार वित्तीय वर्ष यथा 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। तदनुसार वर्षवार भौतिक लक्ष्य एवं आवश्यक राज्यांश निम्नवत प्रस्तावित है :-

वित्तीय वर्ष	**प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य**	**प्रस्तावित राज्यांश की राशि (करोड़ में)**
1	2	3
2015-16	1.00 लाख	80.00
2016-17	2.00 लाख	160.00
2017-18	2.00 लाख	160.00
2018-19	2.52863 लाख	202.29
कुल	**7.52863 लाख**	**602.29**

5. योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत केन्द्र सरकार एवं मिशन अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा एवं शेष राशि लाभुक स्वयं वहन करेंगे।

6. स्वच्छ भारत मिशन योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका में भारत सरकार द्वारा किये गये समय-समय पर संशोधन एवं दिये गये निदेश के अनुपालन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार स्वयं सक्षम होगा।

7. राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि केन्द्रांश की सहायता राशि में वृद्धि की जाय, परन्तु केन्द्र स्तर से लिए गए निर्णय की सूचना अप्राप्त है। यह प्रस्ताव है कि तत्काल कार्यहित में भारत सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त होने की प्रत्याशा में राज्य कोष से राज्यांश की अतिरिक्त राशि 501.94 करोड़ रू0 (पांच सौ एक करोड़ चौरानवे लाख रू0) का उपयोग किया जाय। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के पश्चात इसकी प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी।

8. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–17.07.15 के मद सं0–36 के रूप में प्रस्ताव पर सरकार की स्वीकृति प्राप्त है।

9. अतः केन्द्र प्रायोजित "स्वच्छ भारत मिशन "(नगरीय)" योजना में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए राज्यांश की अनुदान राशि 1333 रू0 से बढ़ाकर 8000 रू0 करने पर कुल–602.29 करोड़ रू0 (छह सौ दो करोड़ उनतीस लाख रू0) प्रस्तावित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति संसूचित की जाती है।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

23.7.15

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक– 03/SBM-20-03/2015- 3349 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक– 24/7/15
प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 संलग्न) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की 200 प्रतियां विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

23.7.15

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 03/SBM-20-03/2015- 3349 पटना, दिनांक– 24/7/15
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत/संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/निदेशक, बुडा के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.15

सरकार के प्रधान सचिव।